Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 14 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.801(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एयर कंडीशनर तथा इससे संबद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 695(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.693(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) एयर कूलर और एयर फिल्टर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 30 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.529(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) फ्लैशलाइट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 28 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.501(अ) में प्रकाशित हुआ था। [Placed in Library, See No. LT 2446/18/25]

(छह) रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 21 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.358(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) डोमेस्टिक वाटर हीटिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 21 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.355(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) प्रयोगशाला ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5358(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) इलेक्ट्रिक फेंस एनर्जाइज़र्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जो दिनांक 19 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4958(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 2447/18/25]

(2) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.7624(अ) जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 ? अनुसूची-1 (आयात नीति) को दिनांक 16 अगस्त, 2024 के वित्त अधिनियम 2024 (2024 का संख्यांक 2) के साथ समक्रमित किये जाने के बारे में है ।

(दो) का.आ.5160(अ) जो दिनांक 29 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 85 के अंतर्गत कवर किए गए आईटीसी एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 की आयात नीति शर्त में संशोधन किये जाने के बारे में है ।

(तीन) का.आ.5251(अ) जो दिनांक 5 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से सेनेगल और गाम्बिया को टूटे हुए चावल के निर्यात के बारे में है ।

(चार) का.आ.5654(अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के तहत पीली मटर के लिए आयात अवधि को बढ़ाये जाने के बारे में है ।

(पांच) का.आ.5651(अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाये जाने के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 2448/18/25]

(छह) का.आ.5636(अ) जो दिनांक 30 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाये जाने के बारे में है ।

(सात) का.आ.5644(अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल सोडा ऐश के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाये जाने के बारे में है ।

(आठ) का.आ.23(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति तैयार करने या उसमें संशोधन करने के संबंध में आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों से विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक प्राप्त करने हेतु हितधारकों के साथ परामर्श के लिए पैरा 1.07क और 1.07ख को शामिल किए जाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन किए जाने के बारे में है ।

(नौ) का.आ.101(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से नेपाल को गेहूं के निर्यात के बारे में है ।

(दस) का.आ.97(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों की आयात नीति और आयात नीतिगत शर्त में संशोधन किए जाने के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 2449/18/25]

(ग्यारह) का.आ.200(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची- दो (निर्यात नीति) को दिनांक 16.08.2024 के वित्त अधिनियम 2024 के साथ समक्रमित किए जाने की अधिसूचना के बारे में है ।

(बारह) का.आ.361(अ) जो दिनांक 21 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोतों से प्राप्त अगरवुड (एक्वीलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर तथा अगर ऑयल की निर्यात नीतिगत शर्त में संशोधन किए जाने के बारे में है ।

(तेरह) का.आ.439(अ) जो दिनांक 23 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2023 के अध्याय 4 के अंतर्गत 'हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र' के रूप में नई स्कीम शुरू किए जाने के बारे में है ।

(चौदह) का.आ.444(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 38 के एचएस कोड 38089390 के अंतर्गत कवर किए गए ग्लूफोसिनेट टेक्निकल की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन किए जाने के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 2450/18/25]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मोरर संवर्ग (समूह ?ख? तथा

?ग? पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 3 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 03(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 4 फरवरी 2025 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र ।

[Placed in Library, See No. LT 2451/18/25]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.133(अ), जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें दिनांक 21 नवंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.856(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2452/18/25]

(3) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 2453/18/25]

(4) (एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त(4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT2454 /18/25]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2 के 3क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखता हूं:

(1) का.आ.4396(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(2) का.आ.320(अ) जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ.3926(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(3) का.आ. 1139 (अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17

अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 2455/18/25]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.1240(अ), जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें नागपुर (महाराष्ट्र), रायपुर (छत्तीसगढ़) और खोरधा (ओडिशा) में स्थापित परिसरों को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल किए जाने को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2456/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): On behalf of Shri Kamlesh Paswan, I rise to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Rural Infrastructure Development Agency, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Rural Infrastructure Development Agency, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2457/18/25]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड,नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2458/18/25]

(3) (एक) पावरलूम विकास और निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीईएक्ससीआईएल), मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पावरलूम विकास और निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीईएक्ससीआईएल),मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2459/18/25]

12.04 hrs